

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 516 सन 2020

अनवान :-

1. नरेश कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शिशपाल पुत्र धनपतराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. गुडी उर्फ इन्द्रावती पुत्री धनपतराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सन्तरों पुत्री शिशपाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. राजबाला पुत्री शिशपाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. लिलावती पुत्री शिशपाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज


निर्णय दिनांक :- 17/2-2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 9 बाराणी के खाता संख्या 22/21 की कुल 0.506हैक एवं रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 31/30 की कुल 4.9715हैक में से 0.253हैक एवं रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 82/76 की कुल 8.6020हैक में से 0.2389हैक व रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 11/9 की कुल 8.6020हैक में से 0.6325हैक भूमि व रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 49/44 की कुल 16.1920हैक भूमि में से 0.3368हैक भूमि एवं रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 18/18 की कुल 4.8070हैक भूमि में से 0.2670हैक व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 19/19 की कुल 18.72020हैक में से 1.040हैक व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 20/20 की कुल 7.0840हैक में से 0.2004हैक व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 64/62 की कुल 5.0600हैक में से 2.5299हैक व रोही मौजा चक 10 बाराणी के खाता संख्या 3/3 की कुल 8.3490हैक भूमि में से 0.4638हैक व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970हैक में से 0.5481हैक एवं रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 30/157 की कुल 12.7770हैक में से 7098 हिस्सा भूमि यानि समस्त खातों में प्रतिवादी संख्या 2 व मृतक रूकमादेवी पत्नी धनपत के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 2 व मृतक रूकमा देवी पत्नि धनपतराम जो वादी की बुआ एवं दादी है के नाम से दर्ज है जो वादी के दादा प्रभू पुत्र मोहकम व धनपत पुत्र प्रभूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की बहन एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाये की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है व प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बुआ व रुकमा पत्नि धनपत जो वादी की दादी के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिय के खातेदार कास्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके दादा/पिता प्रभू पुत्र मोहकम, धनपत पुत्र प्रभू के देहान्त होने पर विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1, 2 व मृतक रुकमा के को प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतियों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया रोही मौजा चक 9 बरानी के खाता संख्या 22/21 की कुल 0.506 हैक् एवं रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 31/30 की कुल 4.9715 हैक् में से 0.253 हैक् एवं रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 82/76 की कुल 8.6020 हैक् में से 0.2389 हैक् व रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 11/9 की कुल 8.6020 हैक् में से 0.6325 हैक् भूमि व रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 49/44 की कुल 16.1920 हैक् भूमि में से 0.3368 हैक् भूमि एवं रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 18/18 की कुल 4.8070 हैक् भूमि में से 0.2670 हैक् व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 19/19 की कुल 18.72020 हैक् में से 1.040 हैक् व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 20/20 की कुल 7.0840 हैक् में से 0.2004 हैक् व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 64/62 की कुल 5.0600 हैक् में से 2.5299 हैक् व रोही मौजा चक 10 बरानी के खाता संख्या 3/3 की कुल 8.3490 हैक् भूमि में से 0.4638 हैक् व रोही मौजा डिलकी जाटान के खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970 हैक् में से 0.5481 हैक् एवं रोही मौजा डिलकी जाटान के खाता संख्या 30/157 की कुल 12.7770 हैक् में से 7098 हिस्सा भूमि यानि समस्त खातों में प्रतिवादी संख्या 2 व मृतक रुकमादेवी पत्नी धनपत के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 2 व मृतक रुकमा देवी पत्नि धनपतराम जो वादी की बुआ एवं दादी है के नाम से दर्ज है जो वादी के दादा प्रभू पुत्र मोहकम व धनपत पुत्र प्रभूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 की बहन एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।


उपस्थित अधिकारी
बोहर

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 9 बरानी के खाता संख्या 22/21 की कुल 0.506हैक एवं रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 31/30 की कुल 4.9715हैक में से 0.253हैक एवं रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 82/76 की कुल 8.6020हैक में से 0.2389हैक व रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 11/9 की कुल 8.6020हैक में से 0.6325हैक भूमि व रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 49/44 की कुल 16.1920हैक भूमि में से 0.3368हैक भूमि एवं रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 18/18 की कुल 4.8070हैक भूमि में से 0.2670हैक व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 19/19 की कुल 18.72020हैक में से 1.040हैक व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 20/20 की कुल 7.0840हैक में से 0.2004हैक व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 64/62 की कुल 5.0600हैक में से 2.5299हैक व रोही मौजा चक 10 बरानी के खाता संख्या 3/3 की कुल 8.3490हैक भूमि में से 0.4638हैक व रोही मौजा डिलकी जाटान के खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970हैक में से 0.5481हैक एवं रोही मौजा डिलकी जाटान के खाता संख्या 30/157 की कुल 12.7770हैक में से 7098 हिस्सा भूमि यानि समस्त खातों में प्रतिवादी संख्या 2 व मृतक रूकमादेवी पत्नी धनपत के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग व पर्चा खतौनीयों के अनुसार वाद भूमि प्रभू पुत्र मोहकम, धनपत पुत्र प्रभू के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के पडदादा/दादा प्रभू पुत्र मोहकम, धनपत पुत्र प्रभू के नाम से दर्ज है वादी के पडदादा/दादा प्रभू पुत्र मोहकम, धनपत पुत्र प्रभू के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बुआ प्रतिवादी संख्या 2 व दादी रूकमा पत्नि धनपतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है रूकमा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है एवं विरास्तन से भूमि वादी के पिता /बुआ/दादी के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत

उपस्थित अधिकारी
बोहर

साक्ष्य सबूतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 बारानी के खाता संख्या 22/21 की कुल 0.506 हैक एवं रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 31/30 की कुल 4.9715 हैक में से 0.253 हैक एवं रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 82/76 की कुल 8.6020 हैक में से 0.2389 हैक व रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 11/9 की कुल 8.6020 हैक में से 0.6325 हैक भूमि व रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 49/44 की कुल 16.1920 हैक भूमि में से 0.3368 हैक भूमि एवं रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 18/18 की कुल 4.8070 हैक भूमि में से 0.2670 हैक व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 19/19 की कुल 18.72020 हैक में से 1.040 हैक व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 20/20 की कुल 7.0840 हैक में से 0.2004 हैक व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 64/62 की कुल 5.0600 हैक में से 2.5299 हैक व रोही मौजा चक 10 बारानी के खाता संख्या 3/3 की कुल 8.3490 हैक भूमि में से 0.4638 हैक व रोही मौजा डिलकी जाटान के खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970 हैक में से 0.5481 हैक एवं रोही मौजा डिलकी जाटान के खाता संख्या 30/157 की कुल 12.7770 हैक में से 7098 हिस्सा भूमि यानि समस्त खातों में प्रतिवादी संख्या 2 व मृतक रूकमादेवी पत्नी धनपत के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. नरेश कुमार पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शिशपाल पुत्र धनपतराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. गुडी उर्फ इन्द्रावती पुत्री धनपतराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सन्तरो पुत्री शिशपाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. राजबाला पुत्री शिशपाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. लिलावती पुत्री शिशपाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 516 सन 2020 निर्णय दिनांक- 17/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 बाराणी के खाता संख्या 22/21 की कुल 0.506हैक एवं रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 31/30 की कुल 4.9715हैक में से 0.253हैक एवं रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 82/76 की कुल 8.6020हैक में से 0.2389हैक व रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 11/9 की कुल 8.6020हैक में से 0.6325हैक भूमि व रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 49/44 की कुल 16.1920हैक भूमि में से 0.3368हैक भूमि एवं रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 18/18 की कुल 4.8070हैक भूमि में से 0.2670हैक व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 19/19 की कुल 18.72020हैक में से 1.040हैक व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 20/20 की कुल 7.0840हैक में से 0.2004हैक व रोही मौजा चक 10 जीजीएम के खाता संख्या 64/62 की कुल 5.0600हैक में से 2.5299हैक व रोही मौजा चक 10 बाराणी के खाता संख्या 3/3 की कुल 8.3490हैक भूमि में से 0.4638हैक व रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 117/124 की कुल 15.5970हैक में से 0.5481हैक एवं रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 30/157 की कुल 12.7770हैक में से 7098 हिस्सा भूमि यानि समस्त खातों में प्रतिवादी संख्या 2 व मृतक रूकमादेवी पत्नी धनपत के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिव का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)